"प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता"

2210. **श्री रामजी लाल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार प्रदूषण रोकने के लिए राज्यों को प्रत्येक वर्ष कितनी सहायता देती है; और

(ख) 1991 से राज्यों में प्रदूषण रोकने के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री काली नाथ): (क) प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, प्रदूषण नियंत्रण समितियों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली सहायता 30 करोड़ रुपए से अधिक है।

(ख) देश में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) औद्योगिक वाणिज्यिक और शहरों के आवासीय क्षेत्रों जैसे अलग-अलग क्षेत्रों के लिए पारवेशी वायु गुणवत्ता और शोर स्तरों के लिए मानक अधिसूचित किए गए हैं; विभिन्न उपयोगों के लिए जलगुणवत्ता निर्धारित की गई है;

(2) परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है;

(3) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की प्रमुख श्रेणियों में बहिस्रावों और उत्सर्जनों के लिए मानक तैयार किए गए हैं। उद्योगों को निर्धारित मानकों का समयबद्ध आधार पर अनुपालन करने के निदेश दिए गए हैं और दोषी इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(4) प्रमुख विनिर्दिष्ट एवं अन्य गतिविधियों के लिए स्थल चयन से पूर्ण प्रभाव मूल्यांकन के आधार पर पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।

(5) छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों के समूहों में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने की एक स्कीम शुरू की गई है।

(6) उद्योगों के संचालन और स्थल निर्धारण के लिए पर्यावरण दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

(7) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों से अन्यत्र ले जाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(8) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों और वाहनों से भिन्न स्रोतों से होने वाले शोर के नियंत्रण के लिए प्रक्रिया संहिता तैयार की है। इनमें सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, वायुयान संचालन, रेल संचालन, निर्माण गतिविधियों और फटाखे फोड़ना शामिल हैं। राज्य सरकारों से संगत स्थानीय अधिनियमों के तहत इन प्रक्रिया संहिताओं का कार्यान्वयन करने को कहा गया है।

(9) मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत वाहनों, घरेलू उपकरणों और निर्माण उपस्करों के लिए शोर की सीमाएं अधिसूचित की गई है।

(10) मोटर वाहन नियमावली 1989 के तहत वाहनों के लिए ठोस व द्रव उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। भूतल परिवहन मंत्रालय ने राज्य परिवहन निदेशालयों को ठोस उत्सर्जन मानकों को लागू करने की सलाह दी है।

(11) वाहनों से होने वाले उत्सर्जनों के लिए विनिर्माण स्तर पर कड़े मानक अधिसूचित किए गए हैं जो 1.4.1996 से लागू हो जाएंगे।

(12) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के चार महानगरों में 1.4.1995 से कैटेलिटिक कन्वर्टर लगी कारों में प्रयोग के लिए सीसा रहित पेट्रोल शुरू किया गया है।

(13) प्रदूषण के प्रभावों पर जनजागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

गुजरात में दाहोद स्थित डीजल इंजन और लोको शेड मरम्मत एकक को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव

2211. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में दाहोद स्थित डीजल इंजन और लोको शेड मरम्मत एकक को अन्यत्र स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव से रेल कर्मचारी और स्थानीय लोग क्षुब्ध हैं;